

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्या: 44 / 2020

प्रार्थी

- (1) पार्वती देवी पुत्री आदाजी पत्नी देवाराम जी, जाति- रावल ब्राह्मण, निवासी- झाडोली वीर, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही
- (2) चम्पा देवी पुत्री आदाजी पत्नी हरिशंकर जी, जाति- रावल ब्राह्मण, निवासी- नोवी, तहसील- सुमेरपुर, जिला- पाली
- (प्रार्थी संख्या 1 व 2 जरिये पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर जितेन्द्र कुमार पुत्र देवाराम जी, जाति- रावल ब्राह्मण, निवासी- झाडोली वीर, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही)
- (3) जितेन्द्र कुमार पुत्र देवाराम जी, जाति- रावल ब्राह्मण, निवासी- झाडोली वीर, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

- (1) ग्राम पंचायत, कैलाशनगर जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, कैलाशनगर, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही
- (2) मदनलाल पुत्र स्वर्गीय समस्थाजी उर्फ हजारीमलजी, जाति- रावल ब्राह्मण, निवासी- नोवी, तहसील- सुमेरपुर, जिला- पाली
- (3) स्वर्गीय कैलाश पुत्र स्वर्गीय समस्थाजी उर्फ हजारीमलजी, जाति- रावल, मृतक के कायम मुकाम एवं उत्तराधिकारी :-
3/1. श्रीमती सुआदेवी पत्नी स्वर्गीय समस्थाजी उर्फ हजारीमलजी, जाति- रावल ब्राह्मण, निवासी- नोवी, तहसील- सुमेरपुर, जिला- पाली
- (4) लीलादेवी पत्नी प्रेमराम जी रावल पुत्र स्वर्गीय समस्था जी उर्फ हजारीमल जी, जाति- रावल ब्राह्मण, निवासी- पावटा, तहसील- आहोर, जिला- जालोर
- (5) मिश्रीमल पुत्र अमीचन्द जी, जाति- रावल ब्राह्मण, निवासी- कैलाशनगर, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही

‘निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994’

उपस्थिति:

- (1) अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, प्रार्थीगण की ओर से
- (2) अधिवक्ता श्री चेतन रावल, अप्रार्थी संख्या: 2, 4 व 5 की ओर से

-: निर्णय :-

दिनांक 25 सितम्बर, 2024

- (1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा श्री समस्था पुत्र टेका जी, जाति- रावल, निवासी- लास (कैलाशनगर) के पक्ष में राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 266 के तहत जारी पट्टा संख्या 29 दिनांक 25.8.1967 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया हैं
- (2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान पूर्व में अप्रार्थी संख्या 2 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश प्रजापत उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या 2 से 4 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया तथा अप्रार्थी संख्या- 5 (मिश्रीमल) की ओर से अधिवक्ता श्री कुलदीप रावल उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या- 5 (मिश्रीमल) की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया। उसके बाद निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान, अप्रार्थी संख्या 2, 4 व 5 की ओर से अधिवक्ता श्री चेतन रावल उपस्थित हुये तथा अप्रार्थी संख्या- 3(तीन) की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। ...पेज दो पर

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)



(3) बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थीगण के पुश्तैनी कब्जे भोगवटे का एक मकान व भूखण्ड ग्राम कैलाशनगर में ढोलियों की निम्बडी के पास हुआ है, जिसके उत्तर दिशा में रावल हजारी, नोपाराम पुत्र भलाजी का मकान, दक्षिण दिशा में चम्पालाल का मकान, पूर्व में 5 फीट गली व आगे भोपसिंहजी का मकान व पश्चिम में दरवाजा है तथा नाप उत्तर 73 फीट, दक्षिण 73 फीट, पूर्व 37.5 फीट व पश्चिम 39.5 फीट कुल 2810-5 वर्गफीट है। यह कि उक्त नाप व चतुर्दशी की सम्पत्ति स्वर्गीय श्री आदाजी पुत्र फूआजी रावल तथा उनकी मृत्यु के बाद उक्त सम्पत्ति उनकी पत्नि श्रीमति चौथीबाई पत्नि श्री आदाजी रावल व पुत्री प्रार्थीया पार्वतीदेवी को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई, जिससे उक्त स्वामित्व की सम्पत्ति प्रार्थीगण के कब्जे भोगवटे की हुई, जिसमें अप्रार्थीगण या उनके पूर्वजों का कोई हक अधिकार नहीं था एवं न ही है। उक्त सम्पत्ति में स्वर्गीय आदाजी के स्वयं की आय से मकान बनाया था, उक्त आवासीय मकान में आदाजी की पत्नि चौथीबाई ने अपने पुरे जीवनकाल में निवास किया है। ग्राम पंचायत, कैलाशनगर ने मौका निरीक्षण कर उक्त नाप व चतुर्दशी का आवासीय मकान श्रीमति चौथीबाई के स्वामित्व कब्जे भोगवटे का होने के संबंध में एक कब्जा प्रमाणपत्र दिनांक 14.01.1994 को जारी किया हुआ है। जिसकी छाया प्रति निगरानी आवेदन के साथ प्रस्तुत की है। निर्विवाद रूप से उक्त सम्पत्ति आदाजी तथा उनके वारिसान के स्वामित्व तथा कब्जे भोगवटे की है। उक्त सम्पत्ति के पडौस उत्तर दिशा में पहले रावल नाथाराम, थानाराम, देशाराम पुत्रगण बदाजी रावल, निवासी- कैलाशनगर काबिज होकर निवास करते थे, जिनके हक में ग्राम पंचायत कैलाशनगर द्वारा पट्टा संख्या 26 दिनांक 06.02.1960 का जारी किया गया था। उक्त पट्टा संख्या 26 वर्ष 1960 के दक्षिण दिशा में आदा पुत्र फुआजी का मकान दर्ज है। उक्त सम्पत्ति बाद में नाथाराम रावल वगैरा ने रावल हजाजी, नोपा पुत्र भलाजी रावल को विक्रय की है, जिससे उनके स्थान पर नोपाजी तथा नोपाजी के वारिसान काबिज है तथा उपयोग व उपभोग कर रहे हैं। उक्त सम्पत्ति स्वर्गीय श्री आदाजी पुत्र फुआजी रावल के कब्जे मालकी की थी, जिस पर बतौर वारिस प्रार्थीगण काबिज होने से प्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत, कैलाशनगर में उक्त सम्पत्ति पर निर्माण कार्य करने हेतु नियमानुसार आवेदन किया, जिस पर ग्राम पंचायत ने सम्पत्ति के सम्बंध में पूर्ण जांच कर प्रार्थीगण को निर्माण स्वीकृति जारी की। उक्त निर्माण स्वीकृति को गलत तथ्यों के आधार पर निरस्त करवाने हेतु अप्रार्थी संख्या-2 (दो) ने आवेदन किया, जिस पर पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज ने मौके पर आकर विस्तृत जांच की गई थी एवं जांच में पाया कि उक्त सम्पत्ति श्री आदाजी पुत्र फुआजी रावल के पुराने कब्जे भोगवटा की थी तथा ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण स्वीकृति सही जारी की गई है। यह कि अप्रार्थी संख्या 2 से 4 ने उक्त सम्पत्ति में से आधा हिस्सा जरिए बेचान ईकरारनामा के अप्रार्थी संख्या-5 (मिश्रीमल) को बेचान करना बताया गया है, जिसमें उक्त सम्पत्ति का कोई पट्टा संख्या या मिसल संख्या अंकित नहीं है। इस जमीन का कोई पट्टा जारी नहीं होना बेचान ईकरारनामा से दर्शित है, अप्रार्थी संख्या 2 से 4 ने श्री आदाजी पुत्र फुआजी रावल के हिस्से की सम्पत्ति का बेचान गलत तरीके से किया गया है। आदाजी का स्वर्गवास वर्ष 1976 में हुआ था। यदि अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के पास कोई पट्टा होता तो पट्टे के आधार पर अप्रार्थी संख्या- 5 (मिश्रीमल) को बेचान किया जाता तथा उसके आधार पर अप्रार्थी संख्या- 5 के हक में विक्रय विलेख का निष्पादन किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया जाना अपने आपमें यह दर्शित करता है कि अप्रार्थी संख्या 2 से 4 ने प्रार्थीगण की सम्पत्ति को हडपने के आशय से यह फर्जी व कुटरचित दस्तावेज पट्टा संख्या 29 तैयार किया है। इस प्रकार, उक्त सम्पत्ति स्वर्गीय श्री आदाजी पुत्र फूआजी रावल के कब्जे भोगवटे की थी तथा इस सम्पत्ति में उन्होने

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)



अपने पूरे जीवनकाल में निवास किया है तथा उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिसान उक्त सम्पत्ति पर बतौर मालिक काबिज होकर उपयोग व उपभोग कर रहे है। अप्रार्थी संख्या 2 से 4 ने प्रार्थीगण की सम्पत्ति को हड़प करने के आशय से एक फर्जी व कुटरचित पट्टा संख्या 29 दिनांक 25.08.1967 की फोटो प्रति के आधार पर यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत करने के करीब दो तीन माह पूर्व उक्त सम्पत्ति अपने स्वामीत्व की होना बताते हुए उक्त सम्पत्ति में प्रार्थीगण के हक अधिकारों को चुनौतियों दी गई, जिस पर प्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत में उक्त पट्टा की प्रमाणित प्रति, प्रस्ताव, रसीद तथा मिसल की प्रमाणित प्रति की मांग की, जिस पर ग्राम पंचायत ने प्रार्थीगण को यह सूचित किया है कि पट्टा संख्या संख्या 29 दिनांक 25.8.1967 के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत में कोई मिसल नहीं है, कोई रसीद नहीं है तथा न ही उक्त पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है। इस न्यायालय द्वारा भी प्रश्नगत पट्टे के संबंध में ग्राम पंचायत, कैलाशनगर से रेकॉर्ड चाहा जाने पर ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, कैलाशनगर ने यह अवगत कराया है कि उक्त पट्टा संख्या 29 दिनांक 25.8.1967 के संबंध में किसी प्रकार का कोई रेकॉर्ड ग्राम पंचायत कार्यालय में नहीं है। इससे भी यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत पट्टा संख्या 29 दिनांक 25.8.1967 एक कुटरचित व फर्जी दस्तावेज है जिसके आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 से 5 को कोई हक अधिकार पैदा नहीं होते है। यह कि प्रश्नगत पट्टे की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 से 4 तथा उनके पूर्वजों का कभी भी कब्जा नहीं रहा है तथा न ही उक्त सम्पत्ति उनके मालकी की है। अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के पूर्वज नोवी में निवास करते थे तथा उसके बाद अप्रार्थी संख्या 2 से 4 भी नोवी तहसील सुमेरपुर में ही निवास कर रहे है। यह कि उक्त पट्टा, नियम 266 राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत सामान्य नियम, 1961 के अन्तर्गत जारी करना बताया गया है, जो फर्जी व कुटरचित दस्तावेज है। यह कि पट्टा जारी करने से पूर्व मौका निरीक्षण नहीं किया गया व न ही किसी प्रकार के आपत्ति नोटिस जारी किए गए है व अन्य किसी भी आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है, जिससे पट्टा विधि अनुसार जारी नहीं किए जाने से गलत व विधि विरुद्ध है। यह कि प्रार्थी संख्या 1 व 2 तथा उनके पिता के कब्जे मालकी की भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत को किसी अन्य के नाम से बनाने का कोई अधिकार ही नहीं है। उक्त सम्पत्ति पर प्रार्थीगण का कब्जा रहा है। अप्रार्थी संख्या 2 से 4 का व उनके पूर्वजों का उक्त सम्पत्ति पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। यह कि दिनांक 29.01.2020 को गलत व विधि विरुद्ध तरीके से प्रार्थीगण की सम्पत्ति पर कब्जा करने के आशय से अप्रार्थीगण ने ताला तोड़कर जबरन कब्जा करने की कोशिश की गई है व पट्टा संख्या 29 दिनांक 25.8.1967 की छाया प्रति के आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 से 5 द्वारा प्रार्थीगण के हक अधिकारों को चुनौतियों दी जा रही है। अतः प्रार्थीगण का निगरानी आवेदन स्वीकार कर ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा समरथा जी पुत्र टेकाजी रावल, निवासी- कैलाशनगर के पक्ष में जारी तथाकथित पट्टा संख्या 29 दिनांक 25.8.1967 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या 2, 4 व 5 के विद्वान अधिवक्ता श्री रावल ने अप्रार्थीगण के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम लास, वर्तमान नाम कैलाशनगर, तहसील शिवगंज, जिला सिरौही में आबादी क्षेत्र में, मोहल्ला ढोलियों की निम्बडी वाले वास में अप्रार्थी मदनलाल, अप्रार्थीया श्रीमति लीला देवी पिसरान स्वर्गीय समरथाजी उर्फ हजारीमलजी एवं अप्रार्थीया श्रीमति सुआ देवी पत्नि स्वर्गीय समरथाजी रावल, निवासी-कैलाशनगर के कब्जे स्वामित्व का एक आवासीय भूखण्ड आया हुआ है, जिसका असल पट्टा संख्या 29, मिसल संख्या 6 कुल नाप 3002 वर्गफीट, दिनांक 25.8.1967 को तत्कालीन ग्राम पंचायत लास (वर्तमान नाम कैलाशनगर) द्वारा समरथा पिसरान टेकाजी, जाति-रावल, निवासी-लास (कैलाशनगर) के नाम से जारी शुदा है एवं स्वर्गीय समरथाजी पुत्र टेकाजी रावल के मृत्यु पश्चात् उक्त आवासीय भूखण्ड की

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरौही (राज.)



सम्पति अप्रार्थी मदनलाल, मृतक अप्रार्थी कैलाश की माता अप्रार्थी श्रीमति सुआ देवी व अप्रार्थी श्रीमति लीला देवी को वारिसान में प्राप्त हुई हैं, जिस पर अप्रार्थी मदनलाल रावल एवं उसकी वृद्ध माता अप्रार्थीया श्रीमति सुआ देवी पत्नि समरथाजी रावल का कब्जा आधिपत्य हैं एवं आजतक उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं तथा उक्त कब्जे स्वामित्व के आवासीय भूखण्ड की सम्पति में से दक्षिण दिशा वाला 1/2 हिस्सा स्वर्गीय समरथाजी के वारिसान अप्रार्थीगण ने जरिये बेचान ईकरारनामा से पूर्व में अप्रार्थी संख्या-5 (मिश्रिमल पुत्र अमीचन्दजी रावल, निवासी-कैलाशनगर) को मोल कीमतन बेचान कर कब्जा सुपूर्द किया था, एवं उक्त पट्टा सुदा भूखण्ड के उत्तर दिशा में स्थित 1/2 शेष बचत भाग पर कई सालों पहले स्वर्गीय समरथाजी के वारिसान द्वारा आपसी मौखिक पारिवारिक समझौता द्वारा अप्रार्थी मदनलाल रावल के हक हिस्से में सुपूर्द किया गया, जिस पर अप्रार्थी मदनलाल एवं उसकी वृद्ध माता अप्रार्थीया श्रीमति सुआ देवी निवास कर रहे हैं। उक्त 1/2 बचत हिस्से पर वर्षों पुराना पुश्तैनी ढालिया (कमरा) में अप्रार्थी मदनलाल एवं उसकी माता सुआ देवी शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करते हुये निवास करते आ रहे हैं, जिस पर सभी मूलभूत सुविधाएं ली हुई हैं एवं उक्त भूखण्ड के चारों तरफ कई वर्षों पूर्व में अप्रार्थीगण ने अपने खर्च से पक्की दीवार बनाई गई हैं एवं पश्चिम दिशा में लोहे का दरवाजा भी लगाया हुआ हैं जिस अप्रार्थी मदनलाल का नाम भी लिखा हुआ हैं जिसकी प्रार्थीगण को पूर्व से ही जानकारी है। इस प्रकार, उपरोक्त पट्टा संख्या 29 आवासीय भूखण्ड की सम्पति स्वर्गीय समरथाजी पुत्र टेकाजी रावल के विधिक वारिसान अप्रार्थी संख्या 2, अप्रार्थी संख्या 3/1 एवं अप्रार्थीया संख्या 4 के एक मात्र कब्जे स्वामित्व की सम्पति है, जिस पर अप्रार्थीगण का वर्ष 1967 अर्थात् करीब 45 से भी अधिक समय से पट्टाधारक पूर्व रसाधिकारी स्वर्गीय समरथाजी रावल के वती रेकर्डड काबिज हैं, जिसका पट्टा संख्या 29 तत्कालीन ग्राम पंचायत कैलाशनगर द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाकर नियम 266 के अनुसरण में स्वर्गीय समरथाजी रावल से प्रतिफल रकम रु. 21/ अक्षरे ईक्विस रूपये मात्र जरिये रसीद संख्या 911 द्वारा ग्राम पंचायत के कोष में प्राप्त कर दिनांक 25.8.1967 को पट्टा जारी कर कब्जा सुपूर्द किया गया था। यह कि स्वर्गीय समरथाजी पुत्र टेकाजी रावल की मृत्यु के बाद उक्त आवासीय भूखण्ड अप्रार्थी संख्या 2, 3/1 एवं 4 को उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ है। यह कि अप्रार्थी संख्या 2 से 4, मूल रूप से कैलाशनगर, तहसील शिवगंज के निवासी हैं, जो कालान्तर में गांव नौवी में भी रहने लगे तथा अपने रोजगार हेतु बाहर गांव भी आना जाना करते हैं परन्तु किसी भी नागरिक के मूल स्थान पर अधिवास मात्र नही करने से उसकी सम्पति पर कोई अन्य व्यक्ति स्वार्थपरतावश कब्जा करने की बदनियति से उस सम्पति पर हक अधिकार नही जता सकता हैं, उक्त वारिसाना आवासीय भूखण्ड पर आज भी अप्रार्थी मदनलाल रावल एवं उसकी माता सुआ देवी का ही कब्जा हैं एवं प्रार्थीगण की जानकारी में कदीम से आज तक उपयोग व उपभोग करते आ रहे हैं, इस प्रकार, उक्त आवासीय भूखण्ड से प्रार्थीगण का कोई लेना देना नही रहा हैं, प्रार्थीगण ने गलत व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर यह निगरानी आवेदन पेश किया है। यह कि उक्त आवासीय भूखण्ड अप्रार्थी संख्या 2, 3/1 एवं 4 को उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ हैं, उक्त भूखण्ड की वर्तमान मार्केट वेल्यू बढ जाने से प्रार्थीगण की नियत में खोट आ गई एवं अप्रार्थीगण को जबरन उक्त भूखण्ड बेचान करने का दबाव दे रहे हैं जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूखण्ड का प्रार्थीगण को विक्रय करने से मनाही करने पर पिछले कुछ समय से प्रार्थीगण उक्त भूखण्ड पर अप्रार्थीगण की गैर मौजूदगी में गलत रूप से कब्जा करने पर आमदा हैं, तथा आये दिन लडाई झगडा कर हैरान परेशान करने लगे एवं येनकेन प्रकारेण अप्रार्थीगण की उक्त सम्पति को हडपना चाहते हैं। इस प्रकार, अप्रार्थीगण के उक्त पट्टा संख्या 29 के शेष बचत 1/2 भाग पर अप्रार्थीगण के उपयोग व उपभोग तथा कब्जे आधिपत्य में

.....पेज पांच पर

M
अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)



प्रार्थीगण द्वारा बार बार दखल अन्दाजी करने से एवं प्रार्थीगण के उक्त गलत कृत्यों के विरुद्ध अप्रार्थी मदनलाल ने माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश महोदय, शिवगंज के न्यायालय में एक सिविल वाद सं. 02/2020 मदनलाल बनाम पार्वती देवी व अन्य वाद वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा एवं विविध सिविल प्रार्थना पत्र संख्या 01/2020 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया हैं जिसमें प्रतिवादीगण (प्रार्थीगण) पार्वती देवी व अन्य के विरुद्ध मौके की यथास्थिति कायम रखने के आदेश भी पारित किये गये हैं, इस प्रकार उक्त आवासीय भूखण्ड की सम्पत्ति आज भी अप्रार्थीगण के वारिसाना कब्जे स्वामित्व की हैं। यह कि अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के पुश्तैनी कब्जे स्वामित्व के पट्टेशुदा भूखण्ड में से दक्षिण दिशा वाला 1/2 हक हिस्सा अप्रार्थी मिश्रीमल पुत्र अमीचन्द जी रावल, निवासी- कैलाशनगर को बेचान इकरार से कीमतन विक्रय कर कब्जा सुपर्द करने के बाद उक्त आधे हिस्से पर अप्रार्थी मिश्रीमल मौके पर काबिज है जिसने ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण प्राप्त कर निर्माण कार्य करवाकर शान्तिपूर्वक काबिज होकर उपयोग व उपभोग कर रहा है व शेष भाग पर अप्रार्थी मदनलाल व उसकी वृद्ध माता अप्रार्थी सुआदेवी काबिज होकर शान्तिपूर्वक उपयोग व उपभोग करते हुए मौके पर निवास कर रहे हैं। अतः प्रार्थीगण का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) हमने सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, लास (वर्तमान में ग्राम पंचायत, कैलाशनगर) द्वारा श्री समरथा पुत्र टेका जी, जाति- रावल, निवासी- लास (कैलाशनगर) के पक्ष में राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 266 के तहत क्षेत्रफल 3002 वर्गफीट भूमि का पट्टा संख्या 29 दिनांक 25.8.1967 को जारी किया हुआ है। इस संबंध में प्रार्थीगण का मुख्यतः कथन यह है कि "प्रार्थीगण के पुश्तैनी कब्जे भोगवटे का एक मकान व भूखण्ड ग्राम कैलाशनगर में ढोलियों की निम्बडी के पास हुआ है, जिसके उत्तर दिशा में रावल हजारी, नोपाराम पुत्र भलाजी का मकान, दक्षिण दिशा में चम्पालाल का मकान, पूर्व में 5 फीट गली व आगे भोपसिंहजी का मकान व पश्चिम में दरवाजा है तथा नाप उत्तर 73 फीट, दक्षिण 73 फीट, पूर्व 37.5 फीट व पश्चिम 39.5 फीट कुल 2810-5 वर्गफीट है। यह कि उक्त नाप व चतुर्दशी की सम्पत्ति स्वर्गीय श्री आदाजी पुत्र फूआजी रावल तथा उनकी मृत्यु के बाद उक्त सम्पत्ति उनकी पत्नि श्रीमति चौथीबाई पत्नि श्री आदाजी रावल व पुत्री प्रार्थीया पार्वतीदेवी को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई, जिससे उक्त स्वामित्व की सम्पत्ति प्रार्थीगण के कब्जे भोगवटे की हुई, जिसमें अप्रार्थीगण या उनके पूर्वजों का कोई हक अधिकार नहीं था एवं न ही है। उक्त सम्पत्ति में स्वर्गीय आदाजी के स्वयं की आय से मकान बनाया था, उक्त आवासीय मकान में आदाजी की पत्नि चौथीबाई ने अपने पुरे जीवनकाल में निवास किया है। ग्राम पंचायत, कैलाशनगर द्वारा मौका निरीक्षण कर उक्त नाप व चतुर्दशी का आवासीय मकान श्रीमति चौथीबाई के स्वामित्व कब्जे भोगवटे का होने के संबंध में एक कब्जा प्रमाणपत्र दिनांक 14.1.1994 को जारी किया हुआ है।" प्रार्थीगण का यह भी कथन है कि "उक्त सम्पत्ति के पडौस उत्तर दिशा में पहले रावल नाथाराम, थानाराम, देशाराम पुत्रगण बदाजी रावल, निवासी-कैलाशनगर काबिज होकर निवास करते थे, जिनके हक में ग्राम पंचायत कैलाशनगर द्वारा पट्टा संख्या 26 दिनांक 06.02.1960 का जारी किया गया था। उक्त पट्टा संख्या 26 वर्ष 1960 के दक्षिण दिशा में आदा पुत्र फूआजी का मकान दर्ज है।" जबकि अप्रार्थी संख्या 2 से 5 का यह कथन है कि "ग्राम लास, वर्तमान नाम कैलाशनगर, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही में आबादी क्षेत्र में, मोहल्ला ढोलियों की निम्बडी वाले वास में अप्रार्थी मदनलाल, अप्रार्थीया श्रीमति लीला देवी पिसरान स्वर्गीय समरथाजी उर्फ हजारीमलजी एवं अप्रार्थीया श्रीमति सुआ देवी पत्नि स्वर्गीय समरथाजी रावल, निवासी-कैलाशनगर के कब्जे स्वामित्व का एक आवासीय भूखण्ड आया हुआ है, जिसका असल पट्टा संख्या

.....पेज छः पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)



29, मिसल संख्या 6 कुल नाप 3002 वर्गफीट, दिनांक 25.8.1967 को तत्कालीन ग्राम पंचायत लास (वर्तमान नाम कैलाशनगर) द्वारा समरथा पिसरान टेकाजी, जाति-रावल, निवासी-लास (कैलाशनगर) के नाम से जारी शुदा है एवं समरथाजी पुत्र टेकाजी रावल के मृत्यु पश्चात् उक्त आवासीय भूखण्ड की सम्पत्ति अप्रार्थी मदनलाल, मृतक अप्रार्थी कैलाश की माता अप्रार्थी श्रीमति सुआ देवी व अप्रार्थी श्रीमति लीला देवी को वारिसान में प्राप्त हुई हैं, जिस पर अप्रार्थी मदनलाल रावल एवं उसकी वृद्ध माता अप्रार्थीया श्रीमति सुआ देवी पत्नि समरथाजी रावल का कब्जा आधिपत्य हैं एवं आजतक उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं तथा उक्त कब्जे स्वामित्व के आवासीय भूखण्ड की सम्पत्ति में से दक्षिण दिशा वाला 1/2 हिस्सा स्वर्गीय समरथाजी के वारिसान अप्रार्थीगण ने जरिये बेचान ईकरारनामा से पूर्व में अप्रार्थी संख्या-5 (मिश्रिमल पुत्र अमीचन्दजी रावल, निवासी-कैलाशनगर) को मोल कीमतन बेचान कर कब्जा सुपूर्द किया था, एवं उक्त पट्टा सुदा भूखण्ड के उत्तर दिशा में स्थित 1/2 शेष बचत भाग पर कई सालों पहले स्वर्गीय समरथाजी के वारिसान द्वारा आपसी मौखिक पारिवारिक समझौता द्वारा अप्रार्थी मदनलाल रावल के हक हिस्से में सुपूर्द किया गया, जिस पर अप्रार्थी मदनलाल एवं उसकी वृद्ध माता अप्रार्थीया श्रीमति सुआ देवी निवास कर रहे हैं।”

इस प्रकार, प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 से 5 के कथनों से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में मुख्यतः विवाद सम्पत्ति के स्वामित्व का है। जहां एक तरफ, प्रश्नगत पट्टे की भूमि को प्रार्थीगण स्वयं के पुश्तैनी कब्जे भोगवटे की होना बता रहे हैं वहीं दूसरी तरफ, प्रश्नगत पट्टे की भूमि को अप्रार्थी संख्या 2 से 4 स्वयं के पुश्तैनी कब्जे स्वामित्व की होना बता रहे हैं। प्रार्थीगण ने निगरानी आवेदन में अंकित कथनों के समर्थन में कब्जा भोगवटा प्रमाण पत्र दिनांक 14.1.1994 की छाया प्रति प्रस्तुत की है, लेकिन उक्त कब्जा भोगवटा प्रमाण पत्र, प्रश्नगत पट्टा संख्या 29 दिनांक 25.8.1967 के बाद का दस्तावेज है, जिसके आधार पर प्रश्नगत पट्टे की भूमि, प्रार्थीगण के पुश्तैनी कब्जे भोगवटे व स्वामित्व की सम्पत्ति होना इस स्तर पर साबित नहीं होता है। यहां यह उल्लेख करना भी उचित है कि सम्पत्ति के स्वामित्व का निर्धारण करने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थीगण ने प्रश्नगत पट्टा संख्या 29 दिनांक 25.8.1967 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध यह निगरानी आवेदन वर्ष 2020 में प्रस्तुत किया है, जो अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत किया है एवं इस विलम्ब की अवधि के संबंध में प्रार्थीगण ने कोई ठोस युक्तियुक्त कारण निगरानी आवेदन में अंकित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त विवेचन के अनुसार हस्तगत निगरानी आवेदन सारहीन होने एवं साबित नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थीगण अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण सारहीन होने व साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। इसी मुताबिक पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 25 सितम्बर, 2024 को सर-ए-ईजलास सुनाया गया।



(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही